**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ**
**2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर**

क्रमांकः एफ.11 (3) मो./किराये वृद्वि/आईसीडीएस./2003/210437 जयपुर, दिनांक 12/12/18

## आदेश

भारत सरकार द्वारा आईसीडीएस मिशन मोड अक्टूबर 2012 में जारी गाईड लाईन के अनुसार समेकित बाल विकास सेवाओं के अर्न्तगत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाडी केन्द्रों का किराये की दरों में निर्धारित शर्तें अनुसार किरायें में वृद्वि की गई हैं। (आदेश प्रति संलग्न)। लेकिन निर्धारित शर्तें पूर्ण न होने पर मकान मालिकों को बढी हुई दर से किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों को भारत सरकार द्वारा बढी हुई दरों के अनुसार मकान किराया निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैं :-

**1. शहरी (परियोजना)**

| | |
|---|---|
| 1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनित) | अध्यक्ष |
| 2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, | सदस्य सचिव |
| 3. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 4. पर्यवेक्षक, (संबंधित सेक्टर), | सदस्य |

**2. ग्रामीण (परियोजना)**

| | |
|---|---|
| 1. उपखण्ड अधिकारी, | अध्यक्ष |
| 2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, | सदस्य सचिव |
| 3. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 4. पर्यवेक्षक, (संबंधित सेक्टर), | सदस्य |

बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे किराये के भवनों मे संचालित आंगनबाडी केन्द्रों का आवश्यकता अनुसार किराया निर्धारण हेतु समय-समय पर समिति की बैठक आयोजित करावें एवं समिति में लिए गए निर्णय अनुसार मकान मालिकों को भवन किराया भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ.11 (3) मो./किराये वृद्वि/आईसीडीएस./2003/210438-21145( जयपुर, दिनांक 12/12/18

**प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर। ।
2. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त।
5. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, समस्त
6. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
7. उपखण्ड अधिकारी, समस्त।
8. विकास अधिकारी, समस्त।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
10. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
11. एसीपी मुख्यालय उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः एफ 11 (3) ( )/ मो./मबावि/ 2008 114854-886 जयपुर दिनांक 21-6-18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः— आंगनबाडी केन्द्रों के भवन किराये की संशोधित दरों के संबंध में ।

प्रसंगः— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र दिनांक 24.04.2018

प्रसंगः— शासन उप सचिव का पत्र क्रमांक प. 6 (7) मबावि / 2018/ दिनांक 15.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शासन उप सचिव, मबावि ने स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आईडी सं 131800171 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा पत्रावली पर प्राप्त सहमति के आधार पर समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत राज्य में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों को बाल सुलभ सुविधायुक्त भवनों में केन्द्र संचालन के उद्देश्य से आंगनबाडी केन्द्रों के भवन किराये की दरो में निम्नानुसार सशर्त वृद्धि की गई है :—

| क्र. सं. | आंगनबाडी केन्द्रों का विवरण | वर्तमान भवन किराये की दर | संशोधित भवन किराये की दर |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामीण/जनजातीय परियोजनाओं के आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी | 750/– रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र | 1000/–रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र |
| 2 | शहरी परियोजनाओं के आंगनबाडी /मिनी आंगनबाडी | 3000/– रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र | 4000/–रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र |

अतः शासन उप सचिव, मबावि के पत्र दिनांक 15.06.2018 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि तदानुसार कार्यवाही करें। भवन किराये दरों में वृद्धि बाल सुलभ एवं आवश्यक सुविधा वाले भवनों में आंगनबाडी केन्द्र संचालित किये जाने के उद्देश्य से की गई है। संशोधित दरें दिनांक 01 जून 2018 से लागू होगी तथा किराये के भवन से संबंधित अन्य शर्ते पूर्ववत् रहेगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ 11 (3) ( )/ मो./मबावि/ 2008 114557-1338 जयपुर दिनांक 21-6-18
**प्रतिलिपिः**– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सयुंक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि जयपुर।
4. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उपसचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग/शासन उपसचिव, (ग्रुप–4), आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
8. समस्त जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/कोषाधिकारी
9. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाए।

अति. निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।